

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**  
क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-127/2019/ दिनांक:

**—:आदेश:—**

श्री अब्दुल आलिम उस्ता, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर का निम्न अवधि का असाधारण अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि इस आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जावेगा :-

1.	दिनांक 12.10.2016 से 20.11.2016 तक	—	40 दिवस
2.	दिनांक 31.07.2017 से 05.10.2017 तक	—	67 दिवस
<b>कुल योग</b>			<b>107 दिवस</b>

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 एवं दिनांक 07.08.2014 समसंख्यक आदेश 22.05.2009 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक 77 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।

— 84 —

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-127/2019/94

दिनांक: 15-02-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक 3490 दिनांक 04.12.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित करे।
2. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर